80

संख्या–5029/XVIII (II)/2015–18(165)/2015

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 22 सितम्बर, 2015

विषयः– ग्राम नैनीसार तहसील रानीखेत जनपद अल्मोड़ा में अन्तराष्ट्रीय आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु कुल 7.061 है0 भूमि हिमांशु एजुकेशन सोसायटी को पट्टे पर सशुल्क आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–8895/सत्ताईस–19 (2014–2015) दिनांक 14–08–2015 एवं पत्र संख्या–9424/सत्ताईस–19/2014–15, दिनांक 14–08–2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जनपद अल्मोड़ा के ग्राम नैनीसार, तहसील रानीखेत में खाता संख्या–1 के विभिन्न खसरा संख्याओं में कुल रकबा 7.061 है0, श्रेणी–9(3)ड. कृषि योग्य बंजर भूमि को शासनादेश संख्या–258/16(1)/73–राजस्व–1, दिनांक 9.05.1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93–280–रा0–1, दिनांक 12.9.1997 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत वर्तमान प्रचलित बाजार मूल्य के दोगुने दर से निकाले गये भूमि के मूल्य के बराबर नजराने की धनराशि के सापेक्ष रू0 2.00 लाख (रू0 दो लाख मात्र) वार्षिक दर तथा नयी दरों पर निकाली गई मालगुजारी के 20 गुने के बराबर नियत वार्षिक किराया रू0 1196.80 (रू0 एक हजार एक सौ छियानवे एवं अस्सी पैसे मात्र) पर अन्तर्राष्ट्रीय आवासीय विद्यालय की स्थापना हेतु हिमांशु एजुकेशन सोसायटी को निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन पट्टे पर सशुल्क आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. सम्बन्धित संस्था द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय आवासीय विद्यालय की स्थापना कर लिये जाने के पश्चात उपलब्ध कुल सीटों में से 30 प्रतिशत सीटें शासन को उपलब्ध करायी जानी अनिवार्य होंगी, जिनमें ऐसे सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों को प्रवेश प्राप्त होगा, जो उस क्षेत्र में कार्यरत हों।
2. प्रश्नगत नॉन जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 के समकक्षीय प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. चूंकि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित शासनादेश दिनांक 9.5.1984 के अधीन निर्धारित प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है। इस सम्बन्ध में आवासीय प्रयोजन के उपयोग के लिए सम्बन्धित प्राधिकारी के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाना जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6. प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150/1/85(24)–रा–6–दिनांक 09 अक्टूबर 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 क अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षो के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए

7. प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नहीं रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

8. यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

9. इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या–1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी) संख्या–3190/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य तथा सिविल अपील संख्या–436/2011/SLP(C)No.20203/2007 झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दिनांक जनवरी, 2011 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। जिलाधिकारी इस सुनिश्चित करेंगें।

11. भू–उपयोगिता व पट्टे में इंगित शर्तो के अनुपालन के सन्दर्भ में शासन/जिलाधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।

12. सम्बन्धित संस्था द्वारा स्थापित किए जाने वाले उक्त अन्तर्राष्ट्रीय आवासीय विद्यालय में शिक्षा विभाग के मानकों एवं दिशा–निर्देशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रवेश शुल्क दर एवं हास्टल दर का निर्धारण शिक्षा विभाग का परामर्श प्राप्त करते हुए पृथक से किया जायेगा।

13. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–01 से 12 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तो की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव

पृ0सं0–5029 /XVIII (II)2015–18(165)/2015, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमांयू मण्डल, नैनीताल।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
5. श्री प्रतीक जिन्दल वाईस प्रेसीडैन्ट, हिमांशु एजुकेशन सोसायटी, 260 डी.एल.एफ. टावर्स 15, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली–110015
6. प्रभारी मीडिया केन्द्र सचिवालय।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,